

न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

श्री जयेश पारीक निवासी न्यू हॉउसिंग बोर्ड, शास्त्रीनगर भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), भीलवाड़ा।

प्रकरण संख्या :- 122/2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
24.09.2025	<p>—: निर्णय :—</p> <ol style="list-style-type: none">पत्रावली आज पेश हुई। उभयपक्ष अनुपस्थित।अपीलार्थी ने ऑनलाईन आवेदन—पत्र दिनांक 18.02.2025 से अपील में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), भीलवाड़ा से चाही गई थी, परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर, प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। प्रकरण दर्ज कर उभयपक्षकारान की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये।लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), भीलवाड़ा से प्राप्त सूचना अनुसार लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक 20241 दिनांक 23-09-2025 से अवगत कराया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना/जवाब इस कार्यालय के सामान्य अनुभाग के पत्र क्रमांक 389 दिनांक 18.03.2025 को ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। जिसकी प्रतिलिपि उक्त अपील पत्रावली के अभिलेख पर मौजूद है। <p>अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 24-09-2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p>(जसमीत सिंह संघू) प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा</p>	

